

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 803 / 01 / आउशि / शा.1 / 2024

दिनांक- 20/9/2024

प्रति,


- 1- कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.
- 2- प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, म.प्र.

विषय-ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 अनुसार प्रवेश निरस्तीकरण, विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन, महाविद्यालय स्थानांतरण, त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन के संबंध में ।
संदर्भ-मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 51/38/सीसी/24/38 दिनांक 08.04.2024 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मार्गदर्शी सिद्धांत की कंडिका 7, 7.1, 28.4, 28.5, 28.7 (अ) एवं (ब) अनुसार दिनांक 20.09.2024 से 5.10.2024 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निरस्तीकरण पश्चात शुल्क वापसी, विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन, प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन किये जा सकेंगे ।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के नवीन प्रवेश मान्य नहीं होंगे ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

पृ.क्र. 804 / 01 / आउशि / शा.1 / 2024
प्रतिलिपि-

दिनांक- 20/9/2024

- 1- निज सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा म.प्र.
- 2- निज सहायक, अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- 3- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
- 4- सीईओ, एमपी ऑनलाइन 4 मंजिल डी.बी. सिटी कारपोरेट आफिस, भोपाल ।
- 5- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.